तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी झुंझुनू (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या - 214/2021

:- उनवान :-

1. संदीप कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी श्योनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं हाल निवासी सूरीवास तहसील व जिला झुंझुनूं।

-वादी-

-बनाम-

1. जगदीश] पुत्रगण रामधन जाति जाट निवासी सूरीवास
2. नंद किशोर] तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. उप पंजीयक झुंझुनूं (राजस्थान)
4. तहसीलदार (भू. अभि.) झुंझुनूं।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीरूसिंह सर्किल झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. सुमित्रा पुत्री] रामधन जाति जाट निवासीगण सूरीवास
7. सावित्री स्त्री] तहसील व जिला झुंझुनूं (राज०)

:- प्रतिवादीगण :-

उपस्थित अधिवक्ता :-

1. श्री राजेश पुनिया अधिवक्ता - वादी की ओर से
2. श्री विजय पाल अधिवक्ता - प्रतिवादीगण की ओर से

= दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा =

निर्णय दिनांक 18.4.22

वाद वादी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का दिनांक 29/9/21 को विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया कि जमीन हाल ख० न० 102 रकबा 1.48 हैं० राजस्व ग्राम सूरीवास पटवार हल्का बाणी पुरोहितान तहत तहसील झुंझुनूं में स्थित है। यह कि जमीन वर्णित धारा-1 वाद-पत्र का एकांकी खातेदार वादी संदीप कुमार है यह कि प्रतिवादी नं० 1 व 2 वादी की खातेदारी की जमीन हाल ख०न० 102 के पड़ौसी है। तथा वादी की सह खातेदारी की अन्य -2-

... अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम ... हुक्म की ... में जारी
	(2)	
	नाम की जमीन हाल ख०नं० 101/115 व ख०नं० 101 के सह-खातेदार है। यह कि वादी ने अपनी खातेदारी की उक्त जमीन में ट्यूबवैल (चाह) बना रखा है तथा बिजली और ऊर्जा का कनेक्शन है। वादी अपनी खातेदारी की उक्त जमीन में खरीफ की फसल काश्त कर रखी है। वादी रीट की परीक्षा की तैयारी की वजह से कुछ दिनों से जयपुर में परीक्षा की तैयारी कर रहा था इस कारण [illegible] ने जमीन हाल ख०नं० 102 की मय [illegible] को देखा जांच पाया। वादी रीट परीक्षा दिनांक 26.9.2021 को अपनी खातेदारी के खेत आकर दिनांक 27.9.2021 को अपनी खातेदारी जमीन में पश्चिम में गया तो देखा की वादी की खातेदारी जमीन में पक्का मकान [illegible] है प्रतिवादी नं० 1 व 2 अवैध रूप से पक्का मकान का निर्माण कर रहे हैं जबकि वादी की खातेदारी की जमीन में निर्माण करने का प्रतिवादीगण नं० 1 व 2 को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादी को निर्माण नहीं करने हेतु कहा तो प्रतिवादी नं० 1 व 2 ने वादी को जान से मारने की धमकी दी तथा कहा कि हम तो ऐसे ही अवैध निर्माण करेंगे तथा वादी के कब्जा काश्त एवं उपभोग व उपयोग में बाधा कारित करने की धमकी दी इसलिए वादी को मजबूरन मौजूदा वाद-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यकता हुई। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वे जमीन हाल ख०नं० 102 ग्राम [illegible] तहत तहसील झुंझुनू पर कोई अवैध निर्माण नहीं करें, पत्थर व ईंट नहीं डालें तथा वादी के कब्जा काश्त एवं उपभोग व उपयोग में कोई बाधा कारित नहीं करें, तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आशय का दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस व समन जवाब देही तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण सं० 1, 2, 6 व 7 के मध्य दिनांक 10.3.22 को जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया गया। पक्षकारान के मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने का -3-	

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(3)	

निवेदन किया गया है हमने वाद पत्र के शामिल नक्शों व राजीनामा के शामिल नक्शों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का ध्यान पूर्वक - अवलोकन करते हुए योग्य अधिवक्ताओं की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074-2077 वाके ग्राम [illegible] के हाल ख० न० 102 की खातेदारी वादी संदीप कुमार पुत्र [illegible] पूर्व जाति [illegible] भोलाराम पुत्र [illegible] दर्ज रिकार्ड होना स्पष्ट है जिसमें एकाकी खातेदार वादी संदीप कुमार होना जाहिर है ख० न० 101 के बाबत कोई दस्तावेज ना तो राजीनामा के साथ पेश किया जाकर न ही दावा के साथ पेश नहीं करना जाहिर है इस प्रकार राजीनामा केवल पेश करने पर ही वाद डिक्री नहीं किया जा सकता बल्कि राजीनामा सिद्ध करने का दायित्व पक्षकारानों का होता है वादी द्वारा वाद-पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार पक्षकारानों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा नहीं है अतः राजीनामा मय दावा अस्वीकार किया जाता है अगर पक्षकारान चाहे तो विनिमय हेतु तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है अतः

<u>आदेश</u>

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी व राजीनामा अस्वीकार किया जाता है खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। तदनुसार खर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद मल गुजारी [illegible] दर्ज रजिस्टर से करके एक कार्य तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश आज दिनांक 18/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

[signature] 18.04.22
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)